संख्या-04/2026/001-1787(1)/1768333/12-2099/220/2023

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 09 मार्च, 2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 की अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-103-बीज-03-प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन एवं बीज वर्धन प्रक्षेत्र योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-एस0एफ0-2258-टी/नान प्लान/पुनर्विनियोग-180/2025-26, दिनॉक 13 दिसम्बर, 2025 एवं पत्र संख्या-एस0एफ0-2809-टी/नान प्लान/पुनर्विनियोग-180/2025-26, दिनॉक 12 फरवरी, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-113-कृषि इंजीनियरी-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-06-प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान(पी0एम0 कुसुम) योजना के मानक मद 27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि रू0 50622.82 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बचत रू0 2890.00 लाख एवं लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-103-बीज-03-प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र योजना के मानक मद 01-वेतन में प्राविधानित धनराशि रू0 1352.39 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बचत रू0 7.00 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 2897.00 लाख की हो रही बचत से अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-103-बीज-03-प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र योजना के मानक मद 02-मजदूरी में रू0 900.00 लाख, 09-विद्युत देय में रू0 90.00 लाख, 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में रू0 1900.00 लाख एवं मानक मद 49-चिकित्सा व्यय में रू0 7.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रूपये 2897.00 लाख (अट्ठाईस करोड़ सत्तानवे लाख मात्र) की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-09 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
2. जिस योजना/मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
3. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।
4. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
5. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उ0प्र0 का होगा।
6. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. धनराशि के आहरण व्यय के दौरान वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2401001030300 (प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र	02 मजदूरी	9,00,00,000 (रुपये नौ करोड़ मात्र)
2	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र	09 विद्युत देय	90,00,000 (रुपये नब्बे लाख मात्र)
3	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	19,00,00,000 (रुपये उन्नीस करोड़ मात्र)
4	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र	49 चिकित्सा व्यय	7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र)
	कुल			**28,97,00,000** **(रुपये अट्ठाईस करोड़ सत्तानबे लाख मात्र)**

महायोग	28,97,00,000 (रुपये अट्ठाईस करोड़ सत्तानबे लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
सर्वेश कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-04/2026/001-1787(2)/1768333/12-2099/220/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ,
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश, द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0,
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सर्वेश कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A012-20252026-1787 2025 1768333 12-2099 220 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-103-बीज-03-प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन एवं बीज वर्धन प्रक्षेत्र योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001130600 (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एंव उत्थान महाभियान (पी.एम. कुसुम) योजना)	27 (सब्सिडी)	5,06,22,82,000 रुपये पाँच अरब छह करोड़ बाईस लाख बयासी हजार मात्र	3,06,22,82,000 रुपये तीन अरब छह करोड़ बाईस लाख बयासी हजार मात्र	-36,09,00,000 रुपये छतीस करोड़ नौ लाख मात्र	28900000	4773282000	2025-2026
011	2401001030300 (प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र)	01 (वेतन)	13,52,39,000 रुपये तेरह करोड़ बावन लाख उनतालीस हजार मात्र	7,00,000 रुपये सात लाख मात्र	-7,00,000 रुपये सात लाख मात्र	700000	1345239000	2025-2026

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001030300 (प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र)	02 (मजदूरी)	16,00,00,000 रुपये सोलह करोड़ मात्र	9,00,00,000 रुपये नौ करोड़ मात्र	9,00,00,000	25,00,00,000	2025-2026
011	2401001030300 (प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र)	42 (अन्य व्यय)	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	4,09,00,000 रुपये चार करोड़ नौ लाख मात्र	0.00	100000	2025-2026
011	2401001030300 (प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र)	43 (सामग्री एवं सम्पूर्ति)	10,00,00,000 रुपये दस करोड़ मात्र	19,00,00,000 रुपये उन्नीस करोड़ मात्र	19,00,00,000	29,00,00,000	2025-2026
011	2401001030300 (प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र)	09 (विद्युत देय)	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	4,00,00,000 रुपये चार करोड़ मात्र	90,00,000	2,90,00,000	2025-2026
011	2401001030300 (प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र)	49 (चिकित्सा व्यय)	15,00,000 रुपये पन्द्रह लाख मात्र	7,00,000 रुपये सात लाख मात्र	7,00,000	22,00,000	2025-2026

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के : प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- स्तम्भ-3 में उल्लिखित धनराशि की वचत योजना में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति कम होने के कारण हो रही है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित प्राविधानित धनराशि वर्ष 2024-25 में प्रेषित किये गये आय-व्ययक अनुमान के अनुरूप प्राविधान न होने के कारण स्तम्भ-9 में मानक मद 02-मजदूरी एवं 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में अपेक्षित धनराशि के व्ययाधिक्य की स्थिति चालू वित्तीय वर्ष में उत्पन्न हुई है। मानक मद 09-विद्युत में लम्बित भुगतान हेतु एवं 49-चिकित्सा व्यय मदों में प्रक्षेत्रों पर कार्यरत कार्मिकों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु तथा मानक मद 42-अन्य व्यय में किसानों को क्षतिपूर्ति दिये जाने की अपरिहार्यता के दृष्टिगत व्ययाधिक्य की स्थिति हुई है, जिसके कारण अतिरिक्त धनराशि की मांग की जा रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है। (वित्त-बजट-1-411 कार्यवाही

संख्या: आर ई-< > -2025-26, दिनांक- 28 दिसंबर, 2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(लाल बहादुर यादव)
संयुक्त सचिव।

Digitally signed by RAHUL KUMAR
Date: 28-02-2026 14:41:25

(राहुल कुमार)
अनु सचिव।

संख्या: 1787 2025 1768333 12-2099 220 2023 दिनांक- दिसंबर, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (वी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(लाल बहादुर यादव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।